[2019] 1 उम. नि. प. 389

शरद हिरू कोलाम्बे

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

20 सितम्बर, 2018

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 30, 428 और 429 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 65] – जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर कारावास का दंडादेश – अभियुक्त को कई अपराधों के लिए जुर्माने सहित कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाना – जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किया जाना – जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में अधिरोपित कारावास भुगतने के विभिन्न व्यतिक्रम दंडादेशों को परस्पर साथ-साथ भुगतने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 30 और 429 – जुर्माना न देने पर कारावास दंडादेश – अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), 1999 के अधीन दोषसिद्धि और आजीवन कारावास सहित जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाना – मकोका के अधीन अधिरोपित पांच लाख रुपए के जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर प्रत्येक अपराध के लिए तीन वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाना – अभियुक्त के परिवार की वित्तीय हालत पर विचार करते हुए प्रत्येक अपराध के लिए तीन वर्ष के कारावास को एक वर्ष करने और दंड संहिता के अधीन अधिरोपित कुल एक वर्ष का कारावास युक्तियुक्त होने के कारण कुल चार वर्ष का कारावास अधिरोपित करने से न्याय की पूर्ति हो जाएगी ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थी को विशेष न्यायाधीश, थाने द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण

अधिनियम, 1999 (मकोका) की धारा 3 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था । उसे आजीवन कारावास भुगतने के साथ-साथ संचयी रूप से 15,04,000/- रुपए का जुर्माना संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर कुल 10 वर्ष का व्यतिक्रम दंडादेश भुगतने का निदेश दिया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि की गई थी । यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को तारीख 26 अगस्त, 2001 को गिरफ्तार किया गया था और विचारण के दौरान तथा अपील लंबित रहने के दौरान कभी भी रिहा नहीं किया गया था । इस प्रकार उसने तारीख 25 अगस्त, 2015 को 14 वर्ष का वास्तविक कारावास पूर्ण कर लिया था । महाराष्ट्र सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संहिता' कहा गया है) की धारा 432 और 433 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को 14 वर्ष का वास्तविक कारावास पूर्ण होने पर रिहा किए जाने का निदेश दिया गया था । तथापि, चूंकि अपीलार्थी ने यथा निदेशित जुर्माने की रकम का संदाय नहीं किया था, इसलिए वह फिलहाल निचले न्यायालयों द्वारा दिए गए व्यतिक्रम दंडादेश भुगत रहा है । यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जिला परिवीक्षा अधिकारी, जिला स्त्री और बाल कल्याण विभाग, रायगढ़, अलीबाग ने एक गृह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें यह उल्लेख था कि अपीलार्थी का परिवार भुखमरी की हालत में है । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल करके व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का निदेश देने का अनुरोध किया गया । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 63 में साधारणतया यह अधिकथित किया गया है कि वहां जुर्माना अत्यधिक नहीं होना चाहिए जहां कि वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है । स्वाभाविक तौर पर, ऐसे मामलों में जहां संबंधित उपबंध में स्वत: वह राशि उपदर्शित की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, या जुर्माने की न्यूनतम मात्रा विहित की गई है, वहां ऐसा तत्व लागू नहीं हो सकेगा । भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के अंतर्गत आने वाले मामलों में न्यायालय "जुर्माना न देने पर कारावास"

का दंडादेश अधिरोपित करने के लिए सक्षम है और जुर्माना न देने पर ऐसा दंडादेश "उस किसी कारावास के अतिरिक्त होगा" जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है । संहिता की धारा 30 और 429(2) भी इस सिद्धांत से संबंधित है कि व्यतिक्रम दंडादेश मूल दंडादेश के अतिरिक्त होगा । उक्त धारा 30(2) के निबंधनों के अनुसार, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णीत व्यतिक्रम दंडादेश को उस अधिकतम दंड पर विचार करते समय गणना में नहीं लिया जाएगा जो मजिस्ट्रेट द्वारा मूल रूप से अधिनिर्णीत किया जा सकता है, जबकि धारा 329(2) के अधीन उन मामलों में जहां दो या दो से अधिक मूल दंडादेश एक के पश्चात् दूसरा भुगते जाने हैं, वहां व्यतिक्रम दंडादेश, यदि अधिनिर्णीत किया गया है, तब तक चलना आरंभ नहीं होगा जब तक कि मूल दंडादेश पूर्ण नहीं हो जाते हैं । इसी प्रकार, संहिता की धारा 428 के अधीन, अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान भोगी गई अवधि का मुजरा मूल दंडादेश के विरुद्ध किया जाएगा न कि व्यतिक्रम दंडादेश के विरुद्ध । इस प्रकार आशय स्पष्ट है कि व्यतिक्रम दंडादेश किसी मूल दंडादेश में विलीन नहीं किया जाना चाहिए या साथ-साथ भोगने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए । अत:, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश उस मूल दंडादेश के आधिक्य में या इसके अतिरिक्त होगा, जिसके लिए अपराधी दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय हो सकेगा । यदि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि एक शास्ति है जिसे कोई व्यक्ति जुर्माना न देने के कारण उपगत करता है और गूढ़ अर्थ में एक दंडादेश नहीं है, तो ऐसा दंडादेश अधिरोपित करना मूल दंडादेश से पूर्णत: भिन्न और गुणात्मक रूप से सुभिन्न है । न्यायालय को यह भी कहना होगा कि अपीलार्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि उसे दिए गए व्यतिक्रम दंडादेश उस पर अधिरोपित मूल दंडादेश के साथ-साथ भोगे जाने चाहिए । उसका पक्षकथन यह है कि सभी व्यतिक्रम दंडादेश परस्पर साथ-साथ भोगे जाने चाहिए । जुर्माना अधिरोपित करने का तब कुछ महत्व होता है, विशिष्ट रूप से जब न्यूनतम मात्रा विहित की गई हो और/या जुर्माने का आज्ञापक अधिरोपण अनुध्यात हो । सैद्धांतिक रूप से, यदि दो या अधिक अपराधों के संबंध में जुर्माना अधिरोपित करने की बाबत अधिनिर्णीत किए गए व्यतिक्रम दंडादेश आपस में मिला दिए जाते हैं या साथ-साथ

भोगने का निदेश दिया जाता है, इस प्रकार दंडादिष्ट किए गए व्यक्तियों के लिए द्वितीय या आगे किए गए अपराधों की बाबत जुर्माना जमा करने का कोई अवसर नहीं आएगा । इसका प्रभावी तौर पर अर्थ जुर्माने के दंडादेश का केवल एक ही या संयुक्त रूप से अधिरोपण करना होगा । ऐसी कवायद से जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश अधिनिर्णीत करते हुए किसी भयपरतिकारी अनुबंध सहित जुर्माने के अधिरोपण का विचार ही निरर्थक हो जाएगा । उदाहरण के लिए, प्रस्तुत मामले में, मकोका के उपबंधों के अधीन दंडनीय तीन सुभिन्न अपराधों की बाबत जुर्माना अधिरोपित किया गया था । यह जुर्माना सुसंगत उपबंधों के अनुसार पांच लाख रुपए के न्यूनतम स्तर पर किया जाना था । यदि मकोका के अधीन इन तीन उपबंधों में से प्रत्येक की बाबत अधिनिर्णीत व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का निदेश दिया जाता है, तो अभियुक्त इन तीन उपबंधों में से दो की बाबत जुर्माना जमा करने के लिए तैयार ही नहीं हो सकेगा । यदि जुर्माने का अधिरोपण और इसका विहित न्यूनतम स्तर किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन की प्राप्ति के लिए अभिकल्पित किया गया है, तो व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का निदेश दिए जाने से वह उद्देश्य ही विफल हो जाएगा । स्पष्ट रूप से यही कारण है कि संहिता की धारा 31 और 427 के विपरीत, जिसमें संबंधित न्यायालय को मूल दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का निदेश देने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से सशक्त किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 64 में ऐसे विवेकाधिकार का अनुबंध नहीं किया गया है । बल्कि उक्त धारा 64 में यह आदिष्ट है कि जुर्माना न देने पर अधिनिर्णीत "कारावास का दंडादेश उस किसी अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है ।" इसी प्रकार का आशय संहिता की धारा 30, 428 और 429(2) में है जिसकी ऊपर चर्चा की गई है । इन उपबंधों की कठोरता ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दंडादेश के लघुकरण का फायदा भी प्राप्त कर लेता है, तो भी जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश उस दंडादेश के आधिक्य में या उसके अतिरिक्त होगा । (पैरा 9 और 13)

इन परिस्थितियों में, न्यायालय व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ

भोगने से संबंधित दलील को नामंजूर करता है, क्योंकि न्यायालय के सुविचारित मत में व्यतिक्रम दंडादेशों को परस्पर साथ-साथ भोगने का निदेश नहीं दिया जा सकता है । तथापि, अपीलार्थी की वित्तीय हालत पर विचार करते हुए व्यतिक्रम दंडादेश की मात्रा के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का मामला बनता है । (पैरा 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 7 एस. सी. सी. 211 : **वी. के. बंसल** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य** ;	6
[2013]	(2013) 1 एस. सी. सी. 570 : **शहजादखान महबुबखान पठान** बनाम **गुजरात राज्य** ;	5,14
[2013]	(2013) 1 एमडब्ल्यूएन (क्रि.) 175 (एफबी) : **डोनटस टोनी इक्वानुसी** बनाम **अन्वेषण अधिकारी, एनसीबी** ;	6, 14
[2007]	(2007) 11 एस. सी. सी. 243 : **शांति लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	5,14
[1990]	(1990) एम. एल. जे. (क्रि.) 534 : **पी. बालारमन** बनाम **राज्य** ;	14
[1978]	[1978] 2 उम. नि. प. 419 = (1977) 2 एस. सी. सी. 634 : **पालानियप्पा गाउंडर** बनाम **तमिलनाडु राज्य और अन्य** ;	5
[1962]	ए. आई. आर. 1926 बम्बई 62 : **इम्परर** बनाम **सुबराव शेषराव** ।	14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 1209.

2006 की दांडिक अपील सं. 906 में बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 17 दिसम्बर, 2013 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री कोलिन गोंस्लेवस, ज्येष्ठ अधिवक्ता, (सुश्री) परिजात भारद्वाज और के. पारि वंधन

प्रत्यर्थी की ओर से — श्री निशांत आर. कटनेश्वरकर

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने दिया ।

न्या. ललित – विशेष इजाजत याचिका फाइल करने में हुए विलंब के लिए माफी दी जाती है । इजाजत दी जाती है ।

2. इस अपील में 2006 की दांडिक अपील सं. 906 में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता तथा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम ऐक्ट, 1999 (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मकोका' कहा गया है) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि करते हुए तारीख 17 दिसम्बर, 2013 को पारित किए गए विनिश्चय को चुनौती दी गई है । चूंकि इस अपील में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किए गए व्यतिक्रम दंडादेशों की प्रकृति पर जोर दिया गया है, इसलिए हम तथ्यों का मात्र सारांश देंगे । अपीलार्थी का अन्य सह-अभियुक्तों के साथ 2002 के एम.सी.ओ.सी. विशेष मामला सं. 3 में विशेष न्यायाधीश (मकोका), थाने द्वारा विचारण किया गया था और तारीख 20 अक्तूबर, 2005 के निर्णय द्वारा दोषसिद्ध किया गया था । विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दंडादेश के आदेश का सुसंगत भाग निम्नलिखित है :–

> "अभियुक्त सं. 1 से 6 अर्थात् संजय किशन मोहिते, सुदिश मनिकेन नायर, प्रमोद शंकर जाधव, संतोष मनोहर देशमुख, चंद्रकांत बालकृष्ण शेगदे और शरद हिरु कोलाम्बे को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और आजीवन कारावास भुगतने और प्रत्येक को 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने

का दंडादेश दिया जाता है । व्यतिक्रम करने पर, तीन माह का कारावास भुगतेंगे ।

अभियुक्त सं. 1 से 6 को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और सात वर्ष का कारावास भुगतने और प्रत्येक को 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया जाता है । व्यतिक्रम करने पर, तीन माह का कारावास भुगतेंगे ।

अभियुक्त सं. 1 से 6 को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और सात वर्ष का कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया जाता है । व्यतिक्रम करने पर, तीन माह का कारावास भुगतेंगे ।

अभियुक्त सं. 1 से 6 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 387 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और पांच वर्ष का कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया जाता है । व्यतिक्रम करने पर, तीन माह का कारावास भुगतेंगे ।

अभियुक्त सं. 1 से 6 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 342 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और एक वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है ।

अभियुक्त सं. 1 से 6 को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)(ii) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और दस वर्ष का कारावास भुगतने तथा प्रत्येक 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया जाता है । व्यतिक्रम करने पर, तीन वर्ष का कारावास भुगतेंगे ।

अभियुक्त सं. 1 से 6 को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण

अधिनियम की धारा 3(4) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और दस वर्ष का कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया जाता है । व्यतिक्रम करने पर, तीन वर्ष का कारावास भुगतेंगे ।

अभियुक्त सं. 1 से 6 को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(4) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और दस वर्ष का कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया जाता है । व्यतिक्रम करने पर, तीन वर्ष का कारावास भुगतेंगे ।

सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

अभियुक्त-व्यक्ति विचारण-पूर्व निरोध की अवधि का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजरा कराने के हकदार हैं ।

अभियुक्त सं. 7 अविनाश श्रीकृष्ण दुग्ध और अभियुक्त सं. 8 तनाजी नानु बिराडे को सभी अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है ।

उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं ।"

3. विशेष न्यायाधीश द्वारा किए गए इस विनिश्चय को सभी सिद्धदोष अभियुक्तों द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में दांडिक अपीलें फाइल करके प्रश्नगत किया गया था । उच्च न्यायालय ने अपीलाधीन अपने निर्णय और आदेश द्वारा मूल अभियुक्त सं. 5 की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया । तथापि, उच्च न्यायालय ने अन्य सभी अपीलें खारिज कर दीं । इस प्रकार, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि की गई है ।

4. यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को तारीख 26 अगस्त, 2001 को गिरफ्तार किया गया था और विचारण के दौरान तथा अपील लंबित रहने के दौरान कभी भी रिहा नहीं किया गया था । इस प्रकार उसने तारीख 25 अगस्त, 2015 को 14 वर्ष का वास्तविक कारावास पूर्ण कर

लिया था । महाराष्ट्र सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 432 और 433 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को 14 वर्ष का वास्तविक कारावास पूर्ण होने पर रिहा किए जाने का निदेश दिया गया था । तथापि, चूंकि अपीलार्थी ने यथा निदेशित रकम का संदाय नहीं किया था । इसलिए वह फिलहाल निचले न्यायालयों द्वारा दिए गए व्यतिक्रम दंडादेश भुगत रहा है । यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जिला परिवीक्षा अधिकारी, जिला स्त्री और बाल कल्याण विभाग, रायगढ़, अलीबाग ने एक गृह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें यह उल्लेख था कि अपीलार्थी का परिवार भुखमरी की हालत में है ।

5. पूर्वोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं :–

क. अपीलार्थी पर विभिन्न दंडों की गणनाओं के अधीन अधिरोपित आकलित जुर्माना 15,04,000/- रुपए है और जुर्माने न देने की दशा में व्यतिक्रम कारावास संचयी रूप से 10 वर्ष का है । ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका परिवार भुखमरी की हालत में हो, यथा निदेशित जुर्माने की रकम जमा करना असंभव है । परिणामतः, अपीलार्थी को 10 वर्ष का व्यतिक्रम दंडादेश भुगतना होगा । यद्यपि, मूल दंडादेश का परिहार किया गया है और अपीलार्थी को 14 वर्ष का वास्तविक कारावास पूर्ण होने पर रिहा किए जाने का निदेश दिया गया है, तो भी अपीलार्थी को तब तक अंदर रहना होगा जब तक वह 24 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेता है ।

ख. चूंकि विचारण न्यायालय ने यह निदेश दिया था कि "सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे", इसलिए सभी व्यतिक्रम दंडादेश भी एक-दूसरे के साथ-साथ चलने चाहिए । इस प्रकार, अधिकतम व्यतिक्रम दंडादेश तीन वर्ष होगा न कि दस वर्ष ।

ग. प्रस्तुत मामले में निदेशित व्यतिक्रम दंडादेश अंतःकरण विरुद्ध और अत्यधिक होगा ।

इस प्रकार, उन्होंने यह दलील दी कि या तो व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया जाए या व्यतिक्रम दंडादेशों को पहले ही

भुगत लिए गए दंडादेश तक कम किया जाए और अपीलार्थी को मुक्त कर दिया जाए । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने **पालानियप्पा गाउंडर** बनाम **तमिलनाडु राज्य और अन्य**[1], **शांति लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] और **शहजादखान महबुबखान पठान** बनाम **गुजरात राज्य**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चयों का अवलंब लिया, जिनमें इस न्यायालय ने व्यक्ति की स्थिति, अपराध की प्रकृति और वित्तीय क्षमता पर विचार करने के पश्चात् व्यतिक्रम दंडादेश की मात्रा को कम कर दिया था ।

6. तथापि, महाराष्ट्र राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री निशांत आर. कटनेश्वरकर ने **वी. के. बंसल** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य**[4] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई कतिपय मताभिव्यक्तियों और **डोनटस टोनी इक्वानुसी** बनाम **अन्वेषण अधिकारी, एनसीबी**[5] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के विनिश्चय का यह दलील देने के लिए अवलंब लिया कि जुर्माने के असंदाय के लिए दिए गए व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ चलने का आदेश नहीं किया जा सकता है । तथापि, विद्वान् काउंसेल ने ऋजुपूर्वक यह दलील दी कि अपीलार्थी की वित्तीय क्षमता पर विचार करते हुए प्रत्येक उपबंध के अधीन के व्यतिक्रम दंडादेशों की मात्रा को, जितना यह न्यायालय उचित समझे, निश्चित रूप से कम किया जा सकता है ।

7. भारतीय दंड संहिता की धारा 63 और 64 तथा संहिता की धारा 30, 31, 421, 427, 428 और 429 के जिन उपबंधों का वर्तमान संविवाद से सरोकार है, इसमें नीचे उद्धृत किए जाते हैं :–

भारतीय दंड संहिता

"63. जुर्माने की रकम – जहां कि वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस

---

[1] [1978] 2 उम. नि. प. 419 = (1977) 2 एस. सी. सी. 634.

[2] (2007) 11 एस. सी. सी. 243.

[3] (2013) 1 एस. सी. सी. 570.

[4] (2013) 7 एस. सी. सी. 211.

[5] (2013) 1 एमडब्ल्यूएन (क्रि.) 175 (एफबी).

रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित है किन्तु अत्यधिक नहीं होगी ।

64. जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश – कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित, जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है,

तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है ।

वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादिष्ट करेगा, सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निदेश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है ।"

दंड प्रक्रिया संहिता

"30. जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश –

(1) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है :–

परंतु वह अवधि –

(क) धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी ;

(ख) जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए, न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है ।

(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णीत की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है ।

31. एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश –

(1) जब एक विचारण में कोई व्यक्ति दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तब, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए, जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दंडादेश दे सकता है, जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हों तब, यदि न्यायालय ने यह निदेश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ-साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निदेश दे ।

(2) दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजें :

परंतु –

(क) किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा ;

(ख) संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है ।

(3) किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग, जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं, एक दंडादेश समझा जाएगा ।

427. ऐसे अपराधी की दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है –

(1) जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चात्वर्ती-दोषसिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब जब तक न्यायालय यह निदेश न दे कि पश्चात्वर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ-साथ भोगा जाएगा, ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर, जिसके लिए, वह पहले दंडादेश हुआ था, प्रारंभ होगा :

परंतु जहां उस व्यक्ति को, जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर धारा 122 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है, ऐसा दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे आदेश के किए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है, वहां पश्चात्वर्ती दंडादेश तुरंत प्रारंभ हो जाएगा ।

(2) जब किसी व्यक्ति को, जो आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा है, पश्चात्वर्ती-दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब पश्चात्वर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ-साथ भोगा जाएगा ।

428. अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना –

जहां अभियुक्त व्यक्ति दोषसिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के लिए कारावास नहीं है वहां उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए, यदि कोई हो, निरोध की अवधि का, ऐसी दोषसिद्धि पर उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और ऐसी दोषसिद्धि पर उस व्यक्ति का कारावास में जाने का दायित्व उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के शेष भाग तक, यदि कोई हो, निर्बन्धित किया जाएगा ।

429. व्यावृत्ति –

(1) धारा 426 या धारा 427 की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दंड के किसी भाग से क्षम्य करने वाली न समझी जाएगी जिसका वह अपनी पूर्व या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर भागी है ।

(2) जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय कारावास के मुख्य दंडादेश के साथ उपाबद्ध है और दंडादेश भोगने वाले व्यक्ति को उसके निष्पादन के पश्चात् कारावास के अतिरिक्त मुख्य दंडादेश या अतिरिक्त मुख्य दंडादेश को भोगना है तब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय तब तक क्रियान्वित न किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति दंडादेश या दंडादेशों को भुगत न चुका हो ।"

8. मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) की धारा 3, जिसके तीन उपबंधों के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था, को भी उद्धृत किया जाता है :–

*"3. संगठित अपराध के लिए दंड –

(1) जो कोई संगठित अपराध करेगा,

(i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा और, न्यूनतम जुर्माना एक लाख रुपए होगा ;

(ii) किसी अन्य मामले में, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा और न्यूनतम जुर्माना पांच लाख रुपए होगा ।

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

"3. Punishment for organised crime –

(1) Whoever commits an offence of organised crime shall –

(i) if such offence has resulted in the death of any person, be punishable with death of imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees one lac ;

(ii) in any other case, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to minimum fine of rupees five lacs.

(2) जो कोई संगठित अपराध या संगठित अपराध करने के पूर्व का कोई कृत्य करने का षड्यंत्र करेगा या षड्यंत्र करने का प्रयत्न या हिमायत, दुष्प्रेरित या जानबूझकर सुकर करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा और न्यूनतम जुर्माना पांच लाख रुपए होगा ।

(3) जो कोई संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य को संश्रय देगा या छिपाएगा अथवा संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा और न्यूनतम जुर्माना पांच लाख रुपए होगा ।

(4) कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा और न्यूनतम जुर्माना पांच लाख रुपए होगा ।

---

(2) Whoever conspires or attempts to commit or advocates, abets or knowingly facilitates the commission of an organised crime or any act preparatory to organised crime, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lacs.

(3) Whoever harbours or conceals or attempts to harbour or conceal, any member of an organised crime syndicate; shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lacs.

(4) Any person who is a member of an organised crime syndicate shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lacs.

(5) जो कोई संगठित अपराध के करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति या जो संगठित अपराध सिंडिकेट निधियों के द्वारा अर्जित की गई है, धारित करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा और न्यूनतम जुर्माना दो लाख रुपए होगा ।"

9. भारतीय दंड संहिता की धारा 63 में साधारणतया यह अधिकथित किया गया है कि वहां जुर्माना अत्यधिक नहीं होना चाहिए जहां कि वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है । स्वाभाविक तौर पर, ऐसे मामलों में जहां संबंधित उपबंध में स्वत: वह राशि उपदर्शित की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, या जुर्माने की न्यूनतम मात्रा विहित की गई है, वहां ऐसा तत्व लागू नहीं हो सकेगा । भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के अंतर्गत आने वाले मामलों में न्यायालय "जुर्माना न देने पर कारावास" का दंडादेश अधिरोपित करने के लिए सक्षम है और जुर्माना न देने पर ऐसा दंडादेश "उस किसी कारावास के अतिरिक्त होगा" जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है । संहिता की धारा 30 और 429(2) भी इस सिद्धांत से संबंधित है कि व्यतिक्रम दंडादेश मूल दंडादेश के अतिरिक्त होगा । उक्त धारा 30(2) के निबंधनों के अनुसार, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णीत व्यतिक्रम दंडादेश को उस अधिकतम दंड पर विचार करते समय गणना में नहीं लिया जाएगा जो मजिस्ट्रेट द्वारा मूल रूप से अधिनिर्णीत किया जा सकता है, जबकि धारा 329(2) के अधीन उन मामलों में जहां दो या दो से अधिक मूल दंडादेश यह एक के पश्चात् दूसरा भुगते जाने हैं, वहां व्यतिक्रम दंडादेश, यदि अधिनिर्णीत किया गया है, तब तक चलना आरंभ नहीं होगा जब तक कि मूल दंडादेश पूर्ण नहीं हो जाते हैं । इसी प्रकार, संहिता की धारा 428 के अधीन, अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान भोगी गई अवधि का मुजरा मूल

---

(5) Whoever holds any property derived or obtained from commission of an organised crime or which has been acquired through the organised crime syndicate funds shall be punishable with a term which, shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine, subject to a minimum fine of rupees two lacs."

दंडादेश के विरुद्ध किया जाएगा न कि व्यतिक्रम दंडादेश के विरुद्ध । इस प्रकार आशय स्पष्ट है कि व्यतिक्रम दंडादेश किसी मूल दंडादेश में विलीन नहीं किया जाना चाहिए या साथ-साथ भोगने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए । अतः, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश उस मूल दंडादेश के आधिक्य में या इसके अतिरिक्त होगा, जिसके लिए अपराधी दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय हो सकेगा ।

10. संहिता में दो उपबंध अर्थात् धारा 31 और 427 हैं जिनमें दंडादेशों को क्रमवर्ती भोगने और साथ-साथ भोगने का उपबंध है । धारा 31 उन मामलों के संबंध में है जहां किसी व्यक्ति को एक ही विचारण में दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है । धारा 31 के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यदि न्यायालय ने यह निदेश नहीं दिया हो कि एक ही विचारण में के दो या अधिक अपराधों के लिए दिए गए दंड साथ-साथ भोगे जाने चाहिए, प्रसामान्य सिद्धांत यह है कि एक दंड का पर्यवसान होने पर दूसरा प्रारंभ होगा । इस प्रकार, इस उपबंध में न्यायालय को ऐसे दंडों को या तो साथ-साथ अथवा क्रमवर्ती भोगने का निदेश देने का विवेकाधिकार दिया गया है । इसी प्रकार का विवेकाधिकार धारा 427 में उपलब्ध है जो ऐसे मामलों के संबंध में है जहां पहले से ही दंडादेश भोग रहे व्यक्ति पर पश्चात्वर्ती विचारण में विचारित अपराध के संबंध में बाद में दंडादेश अधिरोपित किया जाता है । इस प्रकार, ये दोनों उपबंध अर्थात् धारा 31 और 427 न्यायालय को उपलब्ध इस विवेकाधिकार के संबंध में है कि वह यह विनिर्दिष्ट करें कि क्या मूल दंडादेश साथ-साथ भोगे जाएं या क्रमवर्ती रूप में । संहिता की धारा 427 के अधीन शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा हमारा ध्यान **वी. के. बंसल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्ति की ओर आकृष्ट किया गया । यहां तक कि सुभिन्न संव्यवहारों से उद्भूत अपराधों के संबंध में दिए गए मूल दंडादेश साथ-साथ भोगने का फायदा प्रदान करते हुए इस न्यायालय ने जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश को ऐसा फायदा लागू होने के संबंध में पैरा 18 में कतिपय

मताभिव्यक्तियां की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

> "..... हम यह स्पष्ट करते हैं कि दंडादेश साथ-साथ भोगे जाने से संबंधित निदेश केवल मूल दंडादेश तक सीमित होगा । वह दंडादेश, जो अपीलार्थी को जुर्माने/प्रतिकर के संदाय में व्यतिक्रम करने पर भुगतने का निदेश दिया गया है, इस निदेश द्वारा प्रभावित नहीं होगा । हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के उपबंधों में मूल दंडादेशों को उन दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का निदेश देने की अनुज्ञा नहीं है जो जुर्माने/प्रतिकर के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अधिनिर्णीत किए गए हैं ।"

11. संहिता की धारा 31 और 427, जो मूल दंडादेशों के संबंध में है और न्यायालयों को कतिपय मामलों में एक से अधिक दंडादेशों को साथ-साथ भोगे जाने का निदेश देने के लिए सशक्त करती है, के मुकाबले भारतीय दंड संहिता की धारा 64 और संहिता की धारा 30 या "जुर्माने न देने पर कारावास" का दंडादेश अधिरोपित करने की शक्ति से संबंधित किसी अन्य उपबंध में या व्यतिक्रम दंडादेश के संबंध में ऐसा कोई विनिर्देश नहीं है, जैसा कि प्रसामान्यत: ज्ञात है । क्या ऐसा विनिर्देश न होना आकस्मिक है या व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ भोगे जाने की मंजूरी न देने के पीछे कोई सोच है ?

12. जहां तक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रकृति और परिणाम का संबंध है, भारतीय दंड संहिता की धारा 63 में कुछ दिशानिर्देश उपबंधित है और यह कहा गया है कि जहां कि वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहां वह रकम अत्यधिक नहीं होनी चाहिए । इसका निष्कर्ष यह है कि यदि प्रश्नगत विधि में या संबंधित उपबंध में जुर्माने की मात्रा या न्यूनतम रकम नियत नहीं की गई है, तो न्यायालयों को अवश्य ऐसे विनिर्देश द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए । **शांति लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने जुर्माना अधिरोपित करने की प्रकृति और जुर्माना न देने पर कारावास का निदेश देते समय न्यायालय द्वारा जिन विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, पर विचार किया था । उक्त विनिश्चय का पैरा 31

निम्नलिखित है :–

> "31. तथापि, अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की अगली दलील में सार है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर कारावास की अवधि दंडादेश नहीं है । यह एक शास्ति है जो कोई व्यक्ति जुर्माना न देने के कारण उपगत करता है । दंडादेश वह है जो अपराधी को भुगतना ही होगा जब तक कि इसे या तो अपील में या पुनरीक्षण में या किसी समुचित न्यायिक कार्यवाहियों में या 'अन्यथा' अपास्त नहीं किया जाता है या इसका भागत: या पूर्णत: परिहार नहीं किया जाता है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर आदेशित कारावास की अवधि एक भिन्न आधार पर आधारित होती है । जो व्यक्ति जुर्माने की रकम का संदाय करने में असमर्थ है या ऐसी रकम का संदाय करने से इनकार करता है तो उससे कारावास भुगतने की अपेक्षा की जाती है । इसलिए, वह जुर्माने की रकम के संदाय में व्यतिक्रम पर कारावास से उस रकम का संदाय करके सदैव बच सकता है । अत:, न्यायालय की यह केवल शक्ति ही नहीं, अपितु कर्तव्य भी है कि अपराधी को जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास भुगतने का आदेश करने से पूर्व अपराध की प्रकृति, परिस्थितियां जिनमें अपराध कारित किया गया था, अपराधी की हैसियत और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखे ।"

इस प्रश्न पर भी विचार किया गया था कि क्या जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास का आदेश करने के लिए विनिर्दिष्ट शक्ति दी जानी चाहिए और यह पाया गया कि ऐसी शक्ति विवक्षित है और दांडिक न्याय प्रशासन चलाने के लिए न्यायालयों के पास है ।

13. यदि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि एक शास्ति है जिसे कोई व्यक्ति जुर्माना न देने के कारण उपगत करता है और गूढ़ अर्थ में एक दंडादेश नहीं है, तो ऐसा दंडादेश अधिरोपित करना मूल दंडादेश से पूर्णत: भिन्न और गुणात्मक रूप से सुभिन्न है । हमें यह भी कहना होगा कि अपीलार्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि उसे दिए गए व्यतिक्रम दंडादेश उस पर अधिरोपित मूल

दंडादेश के साथ-साथ भोगे जाने चाहिए । उसका पक्षकथन यह है कि सभी व्यतिक्रम दंडादेश परस्पर साथ-साथ भोगे जाने चाहिए । जुर्माना अधिरोपित करने का तब कुछ महत्व होता है, विशिष्ट रूप से जब न्यूनतम मात्रा विहित की गई हो और/या जुर्माने का आज्ञापक अधिरोपण अनुध्यात हो । सैद्धांतिक रूप से, यदि दो या अधिक अपराधों के संबंध में जुर्माना अधिरोपित करने की बाबत अधिनिर्णीत किए गए व्यतिक्रम दंडादेश आपस में मिला दिए जाते हैं या साथ-साथ भोगने का निदेश दिया जाता है, इस प्रकार दंडादिष्ट किए गए व्यक्तियों के लिए द्वितीय या आगे किए गए अपराधों की बाबत जुर्माना जमा करने का कोई अवसर नहीं आएगा । इसका प्रभावी तौर पर अर्थ जुर्माने के दंडादेश का केवल एक ही या संयुक्त रूप से अधिरोपण करना होगा । ऐसी कवायद से जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश अधिनिर्णीत करते हुए किसी भयोपरतिकारी अनुबंध सहित जुर्माने के अधिरोपण का विचार ही निरर्थक हो जाएगा । उदाहरण के लिए, प्रस्तुत मामले में, मकोका के उपबंधों के अधीन दंडनीय तीन सुभिन्न अपराधों की बाबत जुर्माना अधिरोपित किया गया था । यह जुर्माना सुसंगत उपबंधों के अनुसार पांच लाख रुपए के न्यूनतम स्तर पर किया जाना था । यदि मकोका के अधीन इन तीन उपबंधों में से प्रत्येक की बाबत अधिनिर्णीत व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का निदेश दिया जाता है, तो अभियुक्त इन तीन उपबंधों में से दो की बाबत जुर्माना जमा करने के लिए तैयार ही नहीं हो सकेगा । यदि जुर्माने का अधिरोपण और इसका विहित न्यूनतम स्तर किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन की प्राप्ति के लिए अभिकल्पित किया गया है, तो व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का निदेश दिए जाने से वह उद्देश्य ही विफल हो जाएगा । स्पष्ट रूप से, यही कारण है कि संहिता की धारा 31 और 427 के विपरीत, जिसमें संबंधित न्यायालय को मूल दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का निदेश देने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से सशक्त किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 64 में ऐसे विवेकाधिकार का अनुबंध नहीं किया गया है । बल्कि उक्त धारा 64 में यह आदिष्ट है कि जुर्माना न देने पर अधिनिर्णीत "कारावास का दंडादेश उस किसी अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय

है ।" इसी प्रकार का आशय संहिता की धारा 30, 428 और 429(2) में है जिसकी ऊपर चर्चा की गई है । इन उपबंधों की कठोरता ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दंडादेश के लघुकरण का फायदा भी प्राप्त कर लेता है, तो भी जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश उस दंडादेश के आधिक्य में या उसके अतिरिक्त होगा ।

14. हमारे लिए इस प्रक्रम पर **डोनटस** (उपर्युक्त) वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के विनिश्चय पर विचार करना आवश्यक है । उच्च न्यायालय ने **इम्परर** बनाम **सुबराव शेषराव**[1] वाले मामले में बम्बई उच्च के विनिश्चय और **पी. बालारमन** बनाम **राज्य**[2] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चय तथा **शांति लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (उपर्युक्त) और **शहजाद खान महबूबखान पठान बनाम गुजरात राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि एक से अधिक व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ नहीं भोगा जा सकता है । निम्नलिखित मत ठीक ही व्यक्त किया था :–

> "20. ऊपर उद्धृत किए गए विनिश्चयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांत से पूरी तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर कारावास की अवधि का अधिरोपण दंडादेश नहीं है और यह एक शास्ति है जो कोई जुर्माना न देने के कारण उपगत करता है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसा व्यतिक्रम दंडादेश अधिरोपित किया जाता है तो, निस्संदेह, अपराधी को इसे भुगतना ही होगा जब तक कि इस न्यायिक कार्यवाहियों ने उपांतरित नहीं किया जाता है अथवा भागत: या पूर्णत: परिवर्तित नहीं किया जाता है । इसलिए व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का आदेश देना न्यायालय की शक्ति में नहीं है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब ऐसा कोई व्यतिक्रम दंडादेश अधिरोपित

---

[1] ए. आई. आर. 1926 बम्बई 62.

[2] (1990) एम. एल. जे. (क्रि.) 534.

किया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए यह कारावास या तो इस कारण कि वह जुर्माने का संदाय करने में असमर्थ है या ऐसी रकम का संदाय करने से इनकार किया है, भोगना आवश्यक है ।"

व्यतिक्रम दंडादेश साथ-साथ भोगने से संबंधित निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार से था :–

"18. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि संहिता में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मूल दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का आदेश देने के लिए उपबंध हैं और विधान-मंडल ने व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ भोगने का आदेश देने की बाबत न्यायालय की इस शक्ति से विनिर्दिष्ट तौर पर विवर्जित किया है । न्यायालय, संहिता के किसी विशिष्ट उपबंध में कोई अतिरिक्त शब्द जोड़ नहीं सकता है या प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है । विधान-मंडल का काम हाथ मे लेना न्यायालय का कार्य नहीं है और न्यायालय संहिता में जो उपबंध है उसे केवल वैसे ही लागू कर सकता है । कई सारे विनिश्चयों में यह सुस्थापित है कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि को दंडादेश नहीं समझा जा सकता है, अपितु यह एक शास्ति है जो जुर्माना न देने पर उपगत होती है ।"

15. इन परिस्थितियों में, हम व्यतिक्रम दंडादेशों को साथ-साथ भोगने से संबंधित दलील को नामंजूर करते हैं, क्योंकि हमारे सुविचारित मत में व्यतिक्रम दंडादेशों को परस्पर साथ-साथ भोगने का निदेश नहीं दिया जा सकता है । तथापि, अपीलार्थी की वित्तीय हालत पर विचार करते हुए व्यतिक्रम दंडादेश की मात्रा के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का मामला बनता है ।

16. प्रस्तुत मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 364क, 395, 397 और 387 के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत अधिरोपित जुर्माने की मात्रा अत्यधिक नहीं है बिल्कुल युक्तियुक्त है । तथापि, हमारे मत में, अपीलार्थी की बाबत इन चारों धाराओं में से प्रत्येक के लिए ऐसा जुर्माना न देने पर व्यतिक्रम देडादेश का कम करके एक माह कर दिया

जाना चाहिए । हम अब मकोका की धारा 3(i)(ii), 3(2) और 3(4) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए किए गए जुर्माने के अधिरोपण और व्यतिक्रम होने पर दंडादेशों पर आते हैं । इन धाराओं के पाठ से यह दर्शित होता है कि इन उपबंधों में, दोषसिद्धि से जाने पर, प्रत्येक धारा के अधीन आज्ञापक पांच लाख रुपए का न्यूनतम जुर्माना अनुध्यात है । अत:, हम मकोका के अधीन इन तीन धाराओं में से प्रत्येक की बाबत पांच लाख रुपए के जुर्माने के अधिरोपण में कोई गलती नहीं पाते हैं । तथापि, हम यह पाते हैं कि तीन-तीन वर्षों को व्यतिक्रम दंडादेशों का अधिरोपण थोड़ा उच्चतम स्तर पर है । अत:, हम मकोका के अधीन इन तीनों अपराधों की बाबत प्रत्येक व्यतिक्रम दंडादेश की अवधि को कम करके एक-एक वर्ष करते हैं ।

17. परिणामत:, भारतीय दंड संहिता की चारों धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत संचीय रूप से 4,000/- रुपए जुर्माने की मात्रा को कायम रखते हुए, कुल व्यतिक्रम दंडादेश चार माह होगा; और मकोका के अधीन दंडनीय तीन अपराधों की बाबत जुर्माना संचीय रूप से 15 लाख रुपए और व्यतिक्रम दंडादेश कुल तीन वर्ष होगा । यदि अपीलार्थी द्वारा जुर्माने की कोई रकम संदत्त नहीं की जाती है, तो इस प्रकार अपीलार्थी का कुल व्यतिक्रम दंडादेश तीन वर्ष चार माह होगा, जिसमें से अपीलार्थी द्वारा तीन वर्ष का व्यतिक्रम दंडादेश पहले ही भुगत लिया गया है ।

18. अत:, यह अपील पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर की जाती है । इस निर्णय की एक प्रति शीघ्र संबंधित कारागार को भेजी जाए जहां अपीलार्थी फिलहाल बंद है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.